भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1430
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पौष्टिक औषधीय पदार्थों और पूरक आहार हेतु पीएलआई

1430. श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री जगदम्बिका पाल:
क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना पौष्टिक-औषधीय पदार्थों और पूरक आहार के लिए पीएलआई (उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन) अथवा अनुसंधान संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अंतर्गत पौष्टिक-औषधीय पदार्थों के सम्बन्ध में कार्य बल द्वारा की गई प्रगति की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआईएस) के घरेलू विनिर्माण के लिए मौजूदा पीएलआई योजना के अलावा कोई अन्य सहायता शुरू करने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): औषध विभाग पौष्टिक औषधीय पदार्थों और आहार अनुपूरकों के विषय को नहीं देख रहा है।

(ग): प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पौष्टिक औषधीय पदार्थों के क्षेत्र पर जोर देने के लिए एक रोड मैप विकसित करने और उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रों की विकास क्षमता को अनलॉक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2021 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (भारत सरकार के पीएसए) की अध्यक्षता में पौष्टिक औषधीय पदार्थों के क्षेत्र पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब तक

इस टास्क फोर्स की तीन बैठकें हो चुकी हैं और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत पौष्टिक औषधीय पदार्थों के पैनल का गठन किया जा चुका है।

(घ) और (ङ): औषध विभाग आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई)/थोक दवाओं के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है और विवरण निम्नानुसार हैं:

i. बल्क औषधि के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 6,940 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की अवधि के साथ, 41 चिन्हित उत्पादों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इनमें से 33,895 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ 21 परियोजनाओं को पहले ही चालू किया जा चुका है।

ii. औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, 15,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए छह वर्ष की अवधि के लिए तीन श्रेणियों के तहत पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दवाओं में एपीआई भी शामिल हैं।

iii. बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन हेतु योजना, 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के साथ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रत्येक राज्य को बल्क औषधि पार्कों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन पार्कों में स्थापित होने वाली साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाएगा।

*****